क्रम संख्या–6

पत्र संख्या 1972/43-2—2000-14-2(42)-2000

प्रेषक,

योगेन्द्र नारायण,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1—समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी,
समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक 27 जुलाई, 2000

महोदय,

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2

जनता को अपने बदलते दृष्टिकोण से अवगत कराने और उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त कर अपनी कार्यप्रणाली में संशोधन करने के लिए शासन ने निर्णय लिया है कि विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष एवं संवेदनशील जन सम्पर्क से जुड़े अधिकारी जैसे विद्युत वितरण में नियुक्त अधिशासी एवं सुपरिन्टेण्डिंग अभियन्ता, सिंचाई व्यवस्था, परगनाधिकारी, तहसीलदार, अन्य जन कल्याणकारी एवं जन सेवा के कार्यक्रमों में लगे हुए वरिष्ठ अधिकारी निरन्तर जनता से सम्पर्क एवं प्रतिक्रिया प्राप्त करेंगे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब भी समय हो, 10-12 नागरिकों से टेलीफोन पर या अन्य माध्यम से अपने कार्यालय के बाहर सम्पर्क कर उनसे अपने विभाग और कार्यों के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया प्राप्त करेंगे और उसका लिखित रिकार्ड रखेंगे जिसका अवलोकन केवल वरिष्ठ अधिकारी उनके कार्यालय में जाकर कर सकेंगे।

इससे न केवल जनता में यह एहसास होगा कि सम्बन्धित कर्मचारी उनकी सुविधा के लिए और अपने विभाग की छवि के लिए सचेत हैं बल्कि उनसे प्राप्त प्रतिक्रिया से सम्बन्धित अधिकारी को अपने कार्यालय को सुव्यवस्थित करने में भी सहायता मिलेगी।

शासन की छवि अधिकारियों द्वारा जनता के बीच में बनायी गयी छवि पर ही निर्भर रहती है इसलिए अपेक्षा की जाती है कि सभी अधिकारी इस सम्बन्ध में तत्काल रुचिपूर्वक कार्यवाही करेंगे। सभी विभागाध्यक्षों, मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि अपने निरीक्षण और चर्चा के दौरान इस कार्यान्वयन की प्रगति के विषय में समीक्षा करेंगे।

हम सभी से अपेक्षा है कि एक ऐसा माहौल बने जिसमें जनता यह महसूस करे कि सम्बन्धित कर्मचारी उनके हितों के प्रति जागरूक है और स्वयं उनकी कठिनाई की जानकारी करने के लिए और उसके निराकरण के लिए उत्सुक है। मुझे विश्वास है कि इन निर्देशों और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सभी सम्बन्धित अधिकारी इसे तत्परता से कार्यान्वित करेंगे।

भवदीय,
योगेन्द्र नारायण,
मुख्य सचिव।

संख्या 1972/43-2—2000-14-2(42)-2000, तद्दिनांक

प्रतिलिपि अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
डा० ललित वर्मा,
विशेष सचिव।